



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1530]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 10, 2019/वैशाख 20, 1941

No. 1530]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 10, 2019/VAISAKHA 20, 1941

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मई, 2019

का.आ. 1722(अ)—खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का संख्यांक 34) की धारा 43 की उपधारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण एतद्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में दिनांक 6 दिसंबर, 2016 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. सं. 3648 (ई) में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्,-

सारणी में,

- (1) उत्तरी क्षेत्र से संबंधित 'क' में, राजस्थानके नीचे क्रम संख्या 6 के पश्चात संबंधित कॉलमों में निम्नलिखित प्रविष्टियों को अतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या और पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
"7	ओएसिस टेस्ट हाउस लिमिटेड, जयपुर पंजीकरण सं. 57/एन/एफ.एस.ए.आई/2019 एसपी -2, 22 गोदाम औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर, राजस्थान -302006	रासायनिक जैविक";

(2) दक्षिणी क्षेत्र से संबंधित 'ग' में,

(क) आंध्र प्रदेश के नीचे, क्रम संख्या 5 के पश्चात् संबंधित कॉलमों में निम्नलिखित प्रविष्टियों को अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या और पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
"6	आई टी सी लिमिटेड, गुंटूर* पंजीकरण सं. 66/एस/एफ.एस.ए.आई/2019 एग्रीबिजनेस डिवीजन, आई एल टी डी, स्पाइस लेबोरेटरी, ग्रैंड ट्रंक रोड, गुंटूर, आंध्र प्रदेश -522004	रासायनिक जैविक"

*(आई टी सी लिमिटेड, आई टी सी या किसी अन्य खाद्य व्यवसाय संचालक के नियामक खाद्य नमूने का परीक्षण नहीं करेगा जिसमें आई टी सी का स्वार्थ है।)

(ख) तमिल नाडु के नीचे, क्रम संख्या 19 के पश्चात् संबंधित कॉलमों में निम्नलिखित प्रविष्टियों को अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या और पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
"20	ब्यूरो वेरीटास (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, चेन्नई पंजीकरण सं. 67/एस/एफ.एस.ए.आई/2019 F-2 थिरु वी-का इंडस्ट्रियल एस्टेट, फेज III, एककठुथंगल, गिंडी, चेन्नई, तमिलनाडु- -600032	रासायनिक जैविक"

(ग) तेलंगाना के नीचे, क्रम संख्या 9 के पश्चात् संबंधित कॉलमों में निम्नलिखित प्रविष्टियों को अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या और पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
"10	ट्राइलोजी एनेलिटिकल लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड, हेवराबाद पंजीकरण सं. 68/एस/एफ.एस.ए.आई/2019 प्लॉट न. 7 सी.एफ एरिया फेस-II, चेरलापल्ली, हेवराबाद, तेलंगाना- 500051	रासायनिक"

[फा. सं. 12012/01/2019-क्यूए]

पवन अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

टिप्पणी: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ. संख्या 3648 (अ), दिनांक 6 दिसंबर, 2016 द्वारा प्रकाशित हुई थी और बाद में उसमें निम्नलिखित एस.ओ. संख्याओं द्वारा संशोधन किए गए:-

- i. का.आ. संख्या 567 (अ), दिनांक 20 फरवरी, 2017;
- ii. का.आ. संख्या 1595 (अ), दिनांक 15 मई, 2017;
- iii. का.आ. संख्या 1965 (अ), दिनांक 20 जून, 2017;
- iv. का.आ. संख्या 2316 (अ), दिनांक 24 जुलाई, 2017;

- v. का.आ. संख्या 3068 (अ), दिनांक 14 सितंबर, 2017;
- vi. का.आ. संख्या 3279 (अ), दिनांक 29 सितंबर, 2017;
- vii. का.आ. संख्या 4083 (अ), दिनांक 22 दिसंबर, 2017;
- viii. का.आ. संख्या 848 (अ), दिनांक 19 फरवरी, 2018;
- ix. का.आ. संख्या 1516 (अ), दिनांक 28 मार्च, 2018;
- x. का.आ. संख्या 2426 (अ), दिनांक 13 जून, 2018;
- xi. का.आ. संख्या 6207 (अ), दिनांक 12 दिसम्बर, 2018 और
- xii. का.आ. संख्या 1377 (अ), दिनांक 8 मार्च, 2019।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
[FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA]

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th May , 2019

S.O. 1722(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 43 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following amendments in the notification number S.O. 3648 (E) published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 6th December, 2016, namely:-

In the table,-

- (1) in ‘A’ related to **NORTHEN REGION**, under **Rajasthan**, after serial number 6, the following entries shall be inserted in respective columns, namely.-

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
“7	Oasis Test House Limited, Jaipur Reg. No. 57/N/FSSAI/2019 SP-2, 22 Godown Industrial Area, Jaipur, Rajasthan-302006	Chemical Biological”;

- (2) in ‘C’ related to **SOUTHERN REGION**,

- (a) under **Andhra Pradesh**, after serial number 5, the following entries shall be inserted in respective columns, namely. –

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
“6	ITC Limited, Guntur* Reg. No. 66/S/FSSAI/2019 Agribusiness Division, ILTD, Spice Laboratory, Grand Trunk Road, Guntur, Andhra Pradesh -522004	Chemical Biological”

(* ITC limited will not test regulatory food samples of ITC and any other food business operator in which ITC has an interest.)

(b) under *Tamil Nadu*, after serial number 19, the following entries shall be inserted in respective columns, namely. -

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
“20	Bureau Veritas (India) Private Limited, Chennai Reg. No. 67/S/FSSAI/2019 F-2 Thiru Vi-Ka Industrial Estate, Phase III, Ekkattuthangal, Guindy, Chennai, Tamil Nadu-600032	Chemical Biological”.

(c) under *Telangana*, after serial number 9, the following entries shall be inserted in respective columns, namely.-

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
“10	Trilogy Analytical Laboratory Private Limited, Hyderabad Reg. No. 68/S/FSSAI/2019 Plot No. 7 C.F area Phase-II, Cherlapally, Hyderabad, Telangana-500051	Chemical”.

[F. No. 12012/01/2019-QA]

PAWAN AGARWAL, Chief Executive Officer

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii), vide S.O. number 3648 (E), dated the 6th December, 2016 and subsequently amended vide:-

- i. S.O. number 567 (E), dated the 20th February, 2017,
- ii. S.O. number 1595(E), dated the 15th May, 2017,
- iii. S.O. number 1965 (E), dated the 20th June, 2017,
- iv. S.O. number 2316(E), dated the 24th July, 2017,
- v. S.O. number 3068 (E) dated the 14th September, 2017,
- vi. S.O. number 3279 (E) dated the 29th September, 2017,
- vii. S.O. number 4083 (E) dated the 22nd December, 2017,
- viii. S.O. number 848(E) dated the 19th Feb, 2018,
- ix. S.O. number 1516 (E) dated 28th March, 2018,
- x. S.O. number 2426(E) dated 13th June, 2018,
- xi. S.O. number 6207 (E) dated 12th December, 2018 and
- xii. S.O. number 1377 (E) dated 8th March, 2019.